From,

Maharani Din,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The Joint Registrar (Budget)
High Court,
Allahabad.

No. 5304/IV-3085/Admin-A-1 Sec. Dated: 11.04.2013

Sub: Sanction of medical reimbursement claim to Sri Taiyab Ahmad, Additional Civil Judge, (Sr. Div.), Meerut, amounting to Rs.1,53,223.00, incurred in treatment of his mother.

Sir,

I am sending herewith a copy of Govt. Order no.99/II-4-2013-53 (110)/ 2010, dated 12.03.2013, in connection with sanction of medical reimbursement claim, amounting to Rs.1,53,223.00, to Sri Taiyab Ahmad, Additional Civil Judge, (Sr. Div.), Meerut, incurred in the treatment of his mother, for information and necessary action.

Encl: As above

Yours Faithfully
Maharani Din
Deputy Registrar

पंजीकृत

संख्या–99 / दो–4–2013–53(110) / 2010

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश
मेरठ।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 12 मार्च 2013

विषयः– श्री तैय्यब अहमद, अपर जिला जज (सी.डि.) मेरठ की माता श्रीमती फैमीदा बेगम की चिकित्सा व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–13866 / चार–3085 / एडमिन ए–1 सेक दिनांक 30.8.10 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1946 यथासंशोधित 1968 के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या– 1209 / पॉच–6–2004–294 / 96 टीसी दिनांक 9.8.04 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री तैय्यब अहमद, अपर जिला जज (सी.डि.) मेरठ की माता श्रीमती फैमीदा बेगम की प्रदेश के भीतर वर्धमान ट्रामा एण्ड लेप्रोस्कोपी सेन्टर प्राइवेट लि0 मुजफ्फरनगर में दिनांक 01.11.2009 से 12.11.2009 तक करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय के सापेक्ष रू0 1,53,223 / – (रू0 एक लाख तिरेपन हजार दो सौ तेइस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति नियुक्ति अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–2491 / दो–4–2010–53(110) / 2010 दिनांक 29 नवम्बर 2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये प्रदान की गयी थी।

2– निबंधक (बजट), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या – 3634 / एडमिन(बी–वी) दिनांक 06 फरवरी 2013 द्वारा शासन को अवगत कराया है कि उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010–2011 में नही हो सका। अतः भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिये प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत धनराशि रू0 1,53,223 / – (रू0 एक लाख तिरेपन हजार दो सौ तेइस मात्र) के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिये प्रदान की जाती है। उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायाधीश–03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश –49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या–99(1) / दो–4–2013–53(110) / 2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
3– कोषाधिकारी, मेरठ।
4– अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
5– श्री तैय्यब अहमद, अपर जिला जज (सी.डि.) मेरठ
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
अनु सचिव

16 MAR 2013

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Regnd.

To,

The Joint Registrar (Budget)
High Court,
Allahabad.

59

No. 7253 /IV-3085/Admin-A-1 Sec. Dated: 27-04-2011

Sub: Sanction of medical reimbursement claim to Sri Tayyab Ahmad, Additional Civil judge, (Sr. Div.), Meerut, amounting to Rs.1,53,223.00, incurred in treatment of his mother.

Sir,

I am sending herewith a copy of Govt. Order no.2491/II-4-2010-53 (110)/ 2010, dated 29.11.2010, in connection with sanction of medical reimbursement claim, amounting to Rs.1,53,223.00, to Sri Tayyab Ahmad, Additional Civil Judge, (Sr. Div.), Meerut, incurred in the treatment of his mother, for information and necessary action.

D.R.(M) If approved may issue. 18.4.2011

Encl: As above

18-4-2011
A.R.
CAPZO

Yours Faithfully
Maharani Din 21-4-11
Deputy Registrar

Santlal
13-12-10
w.o. Encl

पंजीकृत

संख्या–2491/दो–4–2010–53(110)/2010

प्रेषक,

कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश
मेरठ।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2010

विषय:– श्री तैय्यब अहमद, अपर जिला जज (सी.डि.) मेरठ की माता श्रीमती फैमीदा बेगम की चिकित्सा व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–13866/वार–3085/एडमिन ए–1 सेक दिनांक 30.8.10 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1946 यथासंशोधित 1968 के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या–1209/पाँच–6–2004–294/96 टीसी दिनांक 9.8.04 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री तैय्यब अहमद, अपर जिला जज (सी.डि.) मेरठ की माता श्रीमती फैमीदा बेगम की प्रदेश के भीतर वर्धमान ट्रामा एण्ड लेप्रोस्कोपी सेन्टर प्राइवेट लि0 मुजफ्फरनगर में दिनांक 01.11.2009 से 12.11.2009 तक करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय के सापेक्ष रू0 1,53,223/– (रू0 एक लाख तिरेपन हजार दो सौ तेइस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनके द्वारा इससे पूर्व कोई चिकित्सा अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है। यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम का समायोजन करके भुगतान किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस का भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया है।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायाधीश–03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश –49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्या–2491(1)/दो–4–2010–53(110)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3– कोषाधिकारी, मेरठ।
4– अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
5– श्री तैय्यब अहमद, अपर जिला जज (सी.डि.) मेरठ
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्याम सुन्दर)
अनु सचिव,

DEC 2010

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:53:02 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad